

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 857

शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया अभियान

857. श्री जयंत चौधरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू होने के बाद से अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में कोई सुधार नहीं हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से अर्थव्यवस्था के जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को मौजूदा 14.7 प्रतिशत, जो वर्ष 1968-69 के बाद सबसे कम है, से ऊपर लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या महामारी के बाद जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में कोई सुधार हुआ है; और
- (ङ) यदि हां, तो जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए महामारी के बाद उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

- (क) से (घ) : 'मेक इन इंडिया' एक पहल है, जिसकी शुरुआत निवेश में सहायता करने, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से पूरे भारत में 25 सितंबर, 2014 को शुरू की गई थी। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है, जिसने दुनिया में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, मुख्य रूप से 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया गया है। इस पहल के मुख्य उद्देश्यों में से एक, देश के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। 29 जनवरी, 2024 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी "भारतीय अर्थव्यवस्था: एक समीक्षा" में वर्ष 2023-24 के दौरान मात्रा के संदर्भ में, समग्र जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.7 प्रतिशत रही है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, वस्तु और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट करों में कमी, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी हेतु उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उपाय शामिल हैं।

इन उपायों के फलस्वरूप, अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। भारत के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2014-2015 (18.78 लाख करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष 2022-23 में बढ़कर लगभग दोगुनी (36.36 लाख करोड़ रुपए) हो गई।

सरकार की पहलों ने निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है और कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं को विकास और निवेश के अवसर में परिवर्तित करने के अलावा आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे इकोसिस्टम में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इन पहलों में आत्मनिर्भर पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मॉड्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट लॉन्च आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में, एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। ये सभी पहलें/स्कीमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ड) : भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माण के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है ताकि भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। दिसंबर, 2023 तक सभी 14 क्षेत्रों में 1.07 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
